संख्याः 272/X-4–18/1(58)/2018

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांकः 31 मई 2018

विषयः जनपद–देहरादून के अन्तर्गत Proposal for Permission of laying of OFC line along with Misrasspatti and Dudhai Marg हेतु 0.0951 है0 वन भूमि में आप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु बी0एस0एन0एल0 देहरादून को वन संरक्षण अधिनियम् 1980 के तहत अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2937/FP/UK/others/25839/2017 दिनांक 22 फरवरी, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–**देहरादून के अन्तर्गत Proposal for Permission of laying of OFC line along with Misrasspatti and Dudhai Marg हेतु 0.0951 है0 वन भूमि में आप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु बी0एस0एन0एल0 देहरादून को** भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ0न0–11–09/98–एफ0 सी0 दिनांक 16.10.2000, 08.04.2009, शासनादेश संख्या एफ0न0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 एवं एफ0न0–11–568/2014–एफ0सी0 दिनांक 02.02.2015 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों/प्रदत्त प्राधिकार के तहत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान करते हैं–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
5. फाईबर केबिल बिछाये का कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
6. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
7. मा0 उच्चतम् न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा फाईबर केबिल बिछाये जाने के समय एवं तदोपरान्त रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत् मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/ किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से फाईबर केबिल बिछाये जाने के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चिन्हित स्थलों पर ही किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे/नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा योजनानुसार किया गया मक डिस्पोजल का निरीक्षण कर प्रमाण–पत्र भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून एवं नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
14. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने के कार्य के लिए **लोक निर्माण विभाग की अनुमति/शर्तो** का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

<u>संख्याः 272 (1)/ X-4–18/1(58)/2018, तददिनांकित्।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी,उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वन संरक्षक शिवालिक वृत्त देहरादून।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।
6. अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, ।
7. मण्डलीय अभियन्ता संचार परियोजना (**बी0एस0एन0एल0**) देहरादून।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।